न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
122/2022	2022/310	16.09.20[illegible]	16.11.2022

उनवान प्रकरण

1. मेवादास पुत्र गोरधनदास आयु 85 वर्ष जाति स्वामी निवासी मानदास वाली तन् लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—प्रतिवादी

उपस्थितः—
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नवीन भूमि खसरा नम्बर 912, 913, 914 कुल किता 3 कुल रकबा 2.87 है0 जिसकी खातेदारी वर्तमान में [illegible] जोधादास हिस्सा 1/8 दर्ज है। उक्त भूमि के पुराने ख0 न0 349 [illegible] की वरवक्त वादी के पिता की विरासत दर्ज करते समय जरिए नामांतरण वादी का नाम सहवन [illegible]वश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:49 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मेगदास पुत्र गोदादास दर्ज हो गया बल्कि वादी का सही नाम मेगदास नही होकर मेवादास है व पिता को वरवक्त विरासत गोदादास था। जो बाद मे जोधादास हो गया जो केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व जल्दीबाजी से सहवन से दर्ज हुयी त्रुटि है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के स्वयं के नाम की अन्य भूमियां ग्राम लिसाड़िया में वर्तमान खाता संख्या 608, 555 हैं। जिनमे वादी का नाम मेवादास पुत्र गोरधनदास हैं। जो कि बिल्कुल सही दर्ज है। उक्तानुसार वादी वादपत्र में वर्णित भूमि में भी वर्तमान में दर्ज मेघदास पुत्र जोधादास के स्थान पर मेवादास पुत्र गोरधनदास दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक व न्यायोचित है। वादी का नाम सही दर्ज नही होने से वादी को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित रहना पडता है। इस कारण भी वादी का नाम उक्तानुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। वादी को उक्त गलत इन्द्राज बाबत् पूर्व में जानकारी नही हो सकी, दिनांक 20.08.2022 को वादी, वादपत्र में वर्णित भूमि का किसान केडिट कार्ड अपने नाम से बनाने हेतु पटवारी हल्का से निवेदन कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया तो उन्होने न्यायालय से शुद्धि कराने बाबत् कहां गया हैं। इस कारण वादी को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर घोषणा इस आशय से फरमायी जाने का निवेदन किया है कि ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नवीन भूमि ख0 न0 912, 913, 914 कुल किता 3 कुल रकबा 2.87 हैक्टर की भूमि में दर्ज नाम मेघदास पुत्र जोधादास के स्थान पर मेवादास पुत्र गोरधनदास दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व रिकार्ड से मेघदास पुत्र जोधादास का नाम हजफ किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में जरिये डिकी दुरूस्ती फरमायी जाने हेतु दावा बहक प्रतिवादी पेश किया गया है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। ... अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से ... तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2693/भू.अ./2022 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:49 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अवगत कराया है कि ग्राम फुटाला के भूमि खसरा नम्बर 912, 913, 914 किता 3 कुल रकबा 2.87 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान में मेघदास पुत्र जोधादास हिस्सा 1/8 जाति स्वामी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी मेघदास पुत्र जोधाराम के स्थान पर अपना नाम मेवादास पुत्र गोरधनदास जाति स्वामी राजस्व रिकार्ड में शुद्ध करवाना चाहता है। वादी का नाम राजस्व ग्राम लिसाड़िया की भूमि खाता संख्या 608, 555 में मेवादास पुत्र गोरधनदास ही दर्ज है व प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् पक्का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी मेवादास पुत्र गोरधनदास ही दर्ज रिकार्ड है। जिसे मेघदास पुत्र जोधाराम के स्थान पर मेवादास पुत्र गोरधनदास शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में की गई है। साक्ष्य वादी में वादी मेवादास का मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र एंव वादी गवाह में जगदीश प्रसाद पुत्र नाथूराम यादव का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने एंव साक्ष्य वादी में वादी व गवाह का शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, 2030 से 2033, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण पंजिका की फोटो प्रति, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम मेघदास पुत्र जोधादास हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि वादी का वास्तविक नाम मेवादास पुत्र गोरधनदास होना रिकार्ड दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में अ[illegible] उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में वादी का नाम मेघदास हिस्सा 1/8 दर्ज [illegible] वादी के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड के पहचान पत्र में वादी का नाम मेवादास ही दर्ज है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी मेघदास पुत्र जोधादास के स्थान पर मेवादास पुत्र गोरधनदास शुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:49 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाब्त घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नवीन भूमि खसरा नम्बर 912, 913, 914 कुल किता 3 कुल रकबा 2.87 हैक्टर में दर्ज वादी का नाम ''मेघदास पुत्र जोधादास'' के स्थान पर ''मेवादास पुत्र गोरधनदास'' घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी होकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/11/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:49 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)